न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 111/2022

1 बसन्त पुत्र गिरधारी जाति गुसाई निवासी ग्राम लखीपुरा पुरोहित का बास तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मुकेश पुत्र बसन्त जाति गुसाई निवासी ग्राम लखीपुरा पुरोहित का बास तहसील व जिला सीकर।
2 उप पंजियक सीकर।
3 तहसीलदार सीकर।
4 विनोद कुमार पुत्र बसन्तपुरी जाति गोस्वामी निवासी ग्राम लखीपुरा तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी सीकर मुकदमा उनवानी मुकेश बनाम बसन्त आदि मुकदमा नम्बर 57/2019 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 05.08.2022।

उपस्थिति :

1. श्री जयसिंह मील, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अजीत सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः–31-5-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 57/2019 में पारित निर्णय दिनांक 05.08.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट मुकेश ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर 2085,2724/2084 वाके ग्राम लखीपुरा तहसील व जिला सीकर के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया। इससे व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पैतृक है अपीलांट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अपीलांट को उसके हिस्से की भूमि बेचान करने से पाबन्द नही किया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट के जवाब एवं काउन्टर क्लेम का अवलोकन एवं विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचाराधीन आदेश की अपीलांट को उनके अधिवक्ता द्वारा समय पर जानकारी नही दी गई। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पैतृक होना स्वीकृत है। अपीलांट पैतृक भूमि को बेचने पर आमादा है। अपीलांट को बेचान हेतु नैसर्गिक आवश्यकता नही है। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। उसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध [illegible] एवं
पदेन राजस्व [illegible] अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में मूलवाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। विवादित भूमि पैतृक है। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.11.2022 के उपरान्त अपीलांट द्वारा 1/2 हिस्से का बेचान किया जा चुका है। पक्षकारान में वाद बाहुल्यता नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन स्थगन आदेश यथावत रखा जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31/05/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर